राजस्थान सरकार
वन विभाग

प.एफ.न. 4(12)वन/2017

जयपुर, दिनांक– 03.03.2023

अधिसूचना

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 36क की शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के पश्चात बारां जिले की तहसील किशनगंज मे स्थित रक्षित वन खण्ड रामगढ़ व कुन्जी सुवांस वन भूमि, जिस का विवरण नीचे दी गई अनुसूची–। एवं सीमाओं का विवरण अनुसूची–।। के अनुसार है, को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वन स्पति भू–संरचना सम्बन्धित, नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण आरक्षिति घोषित करती है, जिसे भविष्य में **रामगढ़ संरक्षण आरक्षिति** के नाम से जाना जावेगा।

अनुसूची–।

जिला	तहसील	वन खण्ड का नाम	क्षैत्रफल (हैक्टर)	भूमि का वर्गीकरण
बारां	किशनगंज	रामगढ़	1440.50	रक्षित वन
		कुन्जी सुवांस	2368.34	रक्षित वन
		योग:–	**3808.84 है0**	

अनुसूची–II

उत्तरी सीमा	वनखण्ड़ रामगढ़ के कम्पार्टमेन्ट नं. 1 की उत्तरी सीमा से चलकर वनखण्ड कुन्जी सुवांस के कम्पार्टमेन्ट न. 1 की उत्तरी सीमा पर समाप्त होगी ।
पूर्वी सीमा	वनखण्ड़ कुन्जी सुवांस के कम्पार्टमेन्टनं. 1 की पूर्वी सीमा से चलकर वनखण्ड कुन्जी सुवांस के कम्पार्टमेन्ट न. 2, 4, 5, 6, 7 व 9 की पूर्वी सीमा कन्जर्वेशन रिजर्व की पूर्वी होगी ।
दक्षिणी सीमा	वनखण्ड़ कुन्जी सुवांस के कम्पार्टमेन्ट नं. 9 की दक्षिणी सीमा कन्जर्वेशन रिजर्व की दक्षिणी सीमा होगी ।
पश्चिमी सीमा	वनखण्ड़ कुन्जी सुवांस के कम्पार्टमेन्ट नं. 9, 10 व 11 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे उत्तरी दिशा मे आगे बढ़कर वनखण्ड रामगढ़ के कम्पार्टमेन्ट नं. 5, 6, 9, व 1 की पश्चिमी सीमा कन्जर्वेशन रिजर्व की पश्चिमी सीमा होगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मोनाली सेन)
विशेशाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.03.03 18:40:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3319849

7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ.), राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को REAMS के माध्यम से ई–गजट में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
10. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त, कोटा।
12. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
13. जिला कलक्टर, बारां।
14. उप वन संरक्षक, बारां।
15. गार्ड पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–
1. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
2. महानिरीक्षक, वन (वन्यजीव) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली।
3. निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान, पोस्ट बोक्स नं. 18 चन्द्रबनी, देहरादून।

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid
Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date: 2023.03.03 18:40:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3319849